रजिस्ट्री सं० डी० 22 I REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2

PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 18, 1973/श्रावण 27, 1895

No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 18, 1973/SRAVANA 27, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August 1973

No. B-12017/19/73-H(ii).—Whereas some persons employed in the Nursing profession in the hospitals in Delhi and New Delhi have gone on strike, disrupting the smooth running of the hospitals and the care of patients;

And whereas the Central Government is of opinion that nursing services in the Hospitals are essential to the life for the community, the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub-rule (1) of Rule 119 of the Defence of India Rules, 1971, hereby declares Nursing personnel employed in the Hospitals in the Union territory of Delhi, to be a class of employment to which the said Rules apply.

By order, etc.,
M. K. KUTTY, Jt. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1973

सं० का०-12017/19/73-एच० (ii).—यतः दिल्ली और नई दिल्ली के अस्पतालों में नर्सिंग के काम में नियुक्त कुछ व्यक्तियों ने हड़ताल कर ली है जिससे अस्पतालों के काम में तथा रोगियों की देख-रेख में बाधा उत्पन्न हो गई है ।

और यतः केन्द्रीय सरकार का मत है कि अस्पतालों में नर्सिंग सेवाएं जन जीवन के लिए अनिवार्य हैं, केन्द्रीय सरकार भारतीय रक्षा नियमावली 1971 के नियम 119 के उपनियम (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा दिल्ली संघ शासित क्षेत्र के अस्पतालों में नियुक्त नर्सिंग कर्मचारियों को कर्मचारियों की ऐसी श्रेणी घोषित करती है जिस पर उक्त नियम लागू होते हैं ।

आदेशानुसार

एम० के० कुट्टी, संयुक्त सचिव ।

IDD-1107
26.6.76

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973